न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2745–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 6/स्व.निगरानी/2009–10.

1– शिवचरण पुत्र मिश्रीलाल
2– रामकिशन पुत्र भोगीलाल
निवासीगण ग्राम पोरूखेड़ी
तहसील व जिला गुना
3– हजारीलाल पुत्र मिश्रीलाल
ग्राम पोरूखेडी
तहसील व जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कैलाश पुत्र मथुरालाल मीना
2– पप्पू पुत्र मथुरालाल मीना
निवासीगण ग्राम पोरूखेड़ी
तहसील व जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री जे0पी0 चौरसिया, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, गुना के समक्ष संहिता की धारा 50 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पोरूखेड़ी तहसील गुना स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 130/5/1 रकबा 1 हेक्टेयर

आवेदक कमांक 1 शिवचरण को, सर्वे कमांक 66/2/1 ख रकबा 1 हेक्टेयर आवेदक कमांक 3 हजारी लाल को एवं सर्वे कमांक 130/5/2 रकबा 1 हेक्टेयर का पट्टा शासन द्वारा दिया गया था, जबकि आवेदक कमांक 1 शिवचरण एवं अनावेदक कमांक 3 हजारी लाल के पिता के नाम से पूर्व से ही भूमि सर्वे कमांक 131/4 रकबा 3.135 हेक्टेयर, आवेदक कमांक 1 शिवचरण के नाम से पृथक से पूर्व से ही सर्वे कमांक 141/36 रकबा 1 हेक्टेयर आवेदक कमांक 1 शिवचरण के नाम से दर्ज है तथा सर्वे कमांक 130/2 रकबा 1 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 रामकिशन के नाम दर्ज है । इस प्रकार आवेदकगण भूमिहीन कृषक नहीं होकर उन्हें प्रश्नाधीन भूमियों के आवंटन की पात्रता नहीं थी, अतः तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 131/अ–19/01–02 आदेश दिनांक 28–5–02 जिसके द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमियों का पट्टा दिया गया है, स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 6/स्व. निगरानी/2009–10 दर्ज कर दिनांक 17–9–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमियां शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में शिकायतकर्ता हितबद्ध पक्षकार नहीं है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में शिकायंतकर्ता अनावेदकगण का नाम दर्ज नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से आवेदकगण के पक्ष में डिक्री पारित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को भूमिहीन कृषक मानकर प्रश्नाधीन भूमियों का आवंटन किया गया है, जबकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के पास पूर्व से ही भूमियां थीं, और वे भूमिहीन कृषक नहीं होने से, उन्हें प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति

में कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर